25.7.19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैर सायलान की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्यों की ताईद करते हुए प्रकट किया कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 09.06.2015 को मैसर्स महामंत्रा एजेन्सी गांधीपुरा बालोतरा जिला बाड़मेर पहुंच कर दुकान पर मौजूद गैर सायल की उपस्थिति मे विक्रय हेतु रखा खाद्य पदार्थ प्रोपराईटी फूड ब्राण्ड जूपी नूडल्स मे मिलावटी होने के संदेह पर नियमानुसार नमूना हेतु क्रय किया गया। उक्त नमूना पी–545 मार्क अंकित कर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर मे जांच हेतु भिजवाया गया, जो जांच रिपोर्ट दिनांक 29.06.2015 मे अवमानक स्तर होना पाया गया। इस पर गैर सायलान को रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई, किन्तु गैर सायलान द्वारा उक्त रिपोर्ट पर पुनः जांच करने हेतु कोई अपील प्रस्तुत न करने पर परिवादी द्वारा बाद जांच यह परिवाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तत किया गया हैं। गैर सायलान के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने से भारी जुर्माना से दण्डित किया जावें।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता गैर सायलान द्वारा उक्त परिवाद का जवाब एवं आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की नमूना जांच रिपोर्ट मे खाद्य पदार्थ सभी मानकों पर उचित पाया गया है तथा यह भी अंकित हैं कि एमएसजी अथवा भारी धातु पदार्थ का विश्लेषण की जांच की सुविधा उपलब्ध नही होने से जांच नही की गई हैं। खाद्य विश्लेषक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46(3), 42(2) की कोई पालना नहीं की गई है, इस आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर कोई परिवाद नहीं बनता हैं। इसके अलावा अवमानक का मुख्य आधार प्राकृत रंग एवं स्वाद का घटक का विवरण नही होना बताया हैं जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही खाद्य पैकेट पर "CONTAINS PERMITTED NATURAL COLOUR(S) AND ADDED FLAVOUR(S)" अंकित किया गया है तथा यह किसी भी रूप मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) का उल्लंघन नही हैं। अतः प्रस्तुत परिवाद खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्षों के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि गैर सायल सं. 4 व 5 की विनिर्माता कम्पनी के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ का नमूना गैर सायल सं. 1 की दुकान से जांच हेतु परिवादी द्वारा मिलावटी होने के संदेह पर लिया गया। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना जांच हेतु खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 29.06.2015 मे यह स्पष्ट अकित किया है कि एमएसजी अथवा भारी धातु पदार्थ का विश्लेषण की जांच की सुविधा उपलब्ध नही होने से जांच नही की गई हैं। इसके अलावा विश्लेषण रिपोर्ट मे उक्त खाद्य पदार्थ को अवमानक स्तर होना बताया गया हैं तथा विवरण अंकित किया हैं कि नमूना पैकेट पर "Contains permitted Natural colours and contains added flavours given on the label of sample but the class name or type of flavours used in the products not mentioned on the lebel." अपनी टिप्पणी मे इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के तहत अवमानक माना है जो इस प्रकार है– If the article contained in the package- (i) contains any artificial flavouring, colouring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labelled in accordance with the requirments of this Act or regulations made thereunder or is in contravention thereof ; or गैर सायल के प्रतिष्ठान से लिये गये उक्त नमूना को अधिनियम के उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अवमानक माना गया हैं । इसके जवाब मे गैर सायल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के अनुच्छेद 2.2.2.5(c) का आलम्ब लेते हुए कथन किया हैं कि उक्त प्रावधान मे स्पष्ट किया गया हैं कि – In case both colour and flavor are used in the product, one of the following statement should be displayed- "CONTAINS PERMITTED NATURAL COLOUR(S) AND ADDED FLAVOUR(S)" इस प्रकार खाद्य विश्लेषक द्वारा अपने अभिमत मे दिया गया कथन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उक्त विनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमत है तथा इससे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता हैं। इसके अलावा नमूना जांच रिपोर्ट में अवमानक होने बाबत कोई विवरण/आक्षेप अंकित किया नहीं किया हैं और न ही परिवाद मे उल्लिखित किया गया हैं। ऐसे मे प्रस्तुत परिवाद खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद सारहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Scanned by CamScanner